राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(12)तम्बाकू/विधि/पंरा/2024/   दिनांक :

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद्, समस्त राजस्थान।

विषय :– भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम(COTPA-2003) बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा तम्बाकू आपदा से लोगो को बचाने के लिये सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, (COPTA - 2003) बनाया गया है। भारत में हर साल तम्बाकू जनित बीमारियों से लगभग 13 से 14 लाख लोगों की मौत हो जाती है। भारत सरकार द्वारा 13 से 15 वर्ष के युवाओं के बीच हाल ही में जारी ग्लोबल यूथ टोबेको सर्वे (GYTS – 2019) में कहा गया है कि राजस्थान में 4.1 प्रतिशत युवा वर्तमान में तबाकू उत्पादों का उपयोग करते है। ग्रामीण इलाको में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को मजबूत करने की आवश्यकता है।

अतः तम्बाकू नियंत्रण हेतु जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थानों को धुम्रपान से मुक्त करने, जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर विभागीय बैठकों के एजेण्डा में तम्बाकू नियंत्रण की समीक्षा को शामिल किया जाने, ग्राम सभा के एजेण्डा में तम्बकू नियंत्रण के विषय को शामिल किया जाने तथा भारत सरकार की तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान गाइडलाईन के अनुसार पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के समस्त शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाया जाने का प्रयास किया जाए।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

Signature valid
Digitally signed by Ravi Jain
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.28 16:33:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 8899301